चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 21.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनाँक 21.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने के लिये अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय के पर्यवेक्षण में चौकी प्रभारी सीतापुर श्री श्याम देव सिंह तथा उनकी टीम द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त को लूटे गये ई-रिक्शा के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 13.02.2024 को वादी श्री दीपक निषाद पुत्र छोटू निषाद निवासी डिलौरा सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी थी कि उनके साथ 03अज्ञात अभियुक्तों द्वारा बान तालाब के पास उनके साथ मारपीट कर उनका ई-रिक्शा,मोबाइल फोन व 2500/- रुपये लूट कर ले गये हैं। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 118/24 धारा 392,323,504,506, भादवि में बनाम अज्ञात पंजीकृत किय गया। घटना के अनावरण व विवेचना हेतु चौकी प्रभारी सीतापुर को निर्देशित किया गया। चौकी प्रभारी सीतापुर तथा उनकी टीम द्वारा अथक प्रायस करते हुये

सुरागरसी-पतारसी से विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त गुड्डा उर्फ आंनद चतुर्वेदी पुत्र स्व0 गोवर्धन निवासी कौबरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को चोरी के ई-रिक्शा व वादी मुकदमा के सिम कार्ड के साथ गिरफ्तार किय गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। लूट के माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

गुड्डा उर्फ आंनद चतुर्वेदी पुत्र स्व0 गोवर्धन निवासी कौबरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-

चोरी का ई-रिक्शा व वादी का सिम कार्ड

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. चौकी प्रभारी सीतापुर श्री श्याम देव सिंह
2. आरक्षी नागेश कुमार
3. आरक्षी अभिषेक प्रताप

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी वेदांत तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्री विनीत नारायण पाण्डेय द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 963(a)/2013 धारा 452,354(क),504 भादवि0 व 08 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त अरविन्द उर्फ बिल्लू पुत्र रमेश श्रीवास्तव निवासी अकबरपुर थाना कोतवाली कर्वी(वर्तमान थाना भरतकूप) जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 07.12.2013 को वादिया द्वारा थाना कोतवाली में सूचना दी थी कि अभियुक्त अरविन्द उर्फ बिल्लू उपरोक्त द्वारा घर में घुसकर उनकी नाबालिक पुत्री के साथ छेड़छाड़ की है। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 963(a)/2013 धारा 452,354(क),504 भादवि0 व 08 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री कलामुद्दीन द्वारा की गयी तथा दिनाँक 07.02.2014 आरोपी के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।